न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व लोक अदालत शिविर) बिजौलियां केम्प बिजौलिया खुर्द बईजलास श्री प्रवीण कुमार (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्याः–25/2012 दायर तारीख 22.03.2012

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाडा

.....वादी

बनाम

भंवरलाल पिता उदा बलाई निवासी तिलस्वा तहसील बिजौलियां।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

ओमप्रकाश शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 रा0टि0एक्ट0

:–आदेशः– दिनांक 04.05.2018

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादी ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार मण्डल तिलस्वां स्थित ग्राम तिलस्वा की आराजी नं0 511 रकबा 4 बीघा 0 बिस्वा किस्म भूमि बारानी तृतीय तिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजीयात पर अवैध खनन कार्य किया जाकर कृषि से अकृषि में परिवर्तन किया जा रहा है। वर्णित आराजीयात को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि कृषि कार्य हेतु उपयोग में नही लेकर अवैध खनन कार्य किया है/कराया है। शर्तों की पालना नही कर शर्तो की अवहेलना करने से भूमि से बेदखल करने योग्य है। प्रतिवादी के नाम दर्ज आराजी को खारीज कर बिलानाम सरकार अभिलिखित किये जाने का आदेश प्रदान कराना फरमावे।

प्रकरण न्यायालय में पंजिबद्व करा प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादीगण की और से श्री ओमप्रकाश शर्मा अधिवक्ता ने अधिकार पत्र प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत किया।

प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में अंकित किया कि प्रतिवादीगण का उनकी खातेदारी भूमि पर आज भी कब्जा है। प्रतिवादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त खातेदारी की किसी भी शर्तो की अवहेलना नही की गयी है। प्रतिवादीगण द्वारा कोई खनन कार्य भी नही किया गया है। न किसी दस्तावेज अथवा अन्यथा किसी साक्ष्य प्रतिवादीगण द्वारा खनन कार्य किया जाना सिद्व हुआ है। किस कृषि भूमि बाबत वाद लाया गया है। यदि प्रतिवादीगण की बिना जानकारी में आने दिये किसी ने कोई प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि पर किट लगा दिया जो उसके कारण प्रतिवादीगण खदानकर्ता मान उनके विरुद्व धारा 177 आरटीए के प्रावधानों के तहत कोई कार्यवाही नही की जा सकती है। वादी ने खनन कार्य बाबत स्पष्टीकरण देने हेतु

स्पष्ट नहीं किया गया है कि कुल भूमि 4 बीघा में कितनी क्षेत्रफल बारानी प्रभावित हुआ है। धारा 177 आरटीए की प्रारम्भिक डिग्री है। प्रावधानों के अनुसार खातेदार की वही भूमि खातेदार के दोषी पाये जाने की स्थिति में उसके खाते में अलग कर बिलानाम दर्ज की जा सकती है। जिसकी मिट्टी अवैध कृत्य के लिये हटाई गई है। वादी ने बिना कोई अपनी जॉच के केवल पटवारी रिपोर्ट के आधार पर वाद गलत पेश किया गया है। पूर्ण तथ्यों के अभाव में वाद पत्र अवधिपार है। खनिज कार्यदेशक के मौके पर्चे पर कोई हस्ताक्षर नही है। केवल मियाद मिलने के लिये पिछली दिनांक का पर्चा बना देने मात्र से वाद पत्र अन्दर अवधि में नही आ जाता इस लिये वाद पत्र प्रतिवादीगण के विरुद्व पोषणीय नही है। वादपत्र वादी खारिज फरमाया जावे।

दस्तावेजी साक्ष्य में मौका पंचनामा खनि अभियंता कार्यालय बिजौलियां प्रथम सूचना रिपोर्ट की फोटोप्रति, मौका पर्चा ईएक्स पी–1, ईएक्स पी–2 नक्शा ट्रेस, नकल जमांबदी ईएक्स पी–3, ईएक्स पी–4 खसरा गिरदावरी की प्रति प्रस्तुत की है।

वाद पत्र एंव प्रतिवाद पत्र के तथ्यों के आधार पर निम्न वाद बिन्दू तय किये गये।

1. आया वादी ग्राम तिलस्वा सिति आराजी खसरा नं0 511 रकबा 4–00 भूमि में अवैध खनन कार्य कर भूमि का स्वरुप बदल दिया गया है जिसे वादग्रस्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज किया जाना उचित है। .....जिम्मेवादी
2. आया प्रतिवादीगण विवादित भूमि का अभिलिखित खातेदार काश्तकार दर्ज होने से धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान प्रभावी नही है बल्कि धारा 89 भू राजस्व अधिनियम के तहत खनिज सम्पदा का स्वामी राज्य सरकार है एंव खातेदार समतल (सरफेश) भूमि का अधिकारी है जिसके लिये राज्य सरकार स्वीकृति जारी कर सकती है। .....जिम्मे प्रतिवादीगण

प्रकरण की शीध्र सुनवाई हेतु चिन्हित किया जाकर राजस्व लोक अदालत में निस्तारण हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रकरण बहस के स्टेज पर है।

शहादत वादी में श्री अयूब खां पटवारी हल्का उमाजी का खेडा पी डब्ल्यू–1 को प्रस्तुत कर बयान करवाये गये। बयान में लिखवाया कि मैं दिनांक 09.02.2012 को प0 ह0 तिलस्वा के पद पर तैनात था, उस वक्त मैने ग्राम तिलस्वा के आराजी नं0 511 रकबा 4–00 बीघा भूमि का मौका देखा। उकत भूमि में 20 गुणा 15 गुणा 1 फिट में अवैध खनन कार्य पाया गया। उक्त आराजी भंवरलाल पिता उदा बलाई निवासी तिलस्वा के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है जो ईएक्स पी–1 है मौका पर्चा संलग्न है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है उक्त आराजी का नक्शा ट्रेस मेरे द्वारा जारी किया जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। नकल जमाबंदी संख्या 2067–70 ईएक्स पी–3 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। उक्त आराजी की खसरा गिरदावरी मैने जारी की है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। जिरह में लिखवाया कि दिनांक 27.01.2012 को मैने मौका पर्चा नही बनाया इस तारीख को माईनिंग विभाग के कर्मचारीयों के मौका देखने नही गया। उक्त आराजीयात में 20 गुणा 15 गुणा 1 फिट में ही खनन कार्य किया हुआ था। यह सही है कि जिस दिन मौका पर्चा ईएक्स पी–1 बनाया उस दिन खातेदार भंवरलाल उपस्थित नही था। मौके पर किसी प्रकार की खनिज सम्पदा नही थी। मैं मौके पर गया उस दिन उस समय खनन कार्य नही किया जा रहा था।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

शहादत वादी में श्री राजेश हाडा खनि अभियंता बिजौलियां पी डब्ल्यू–2 को प्रस्तुत कर बयान करवाये गये। बयान में लिखवाया कि दिनांक 21.01.2012 को खनिज विभाग के तत्कालीन फोरमेन श्री राकेश भारद्वाज द्वारा बनाया गया जो ग्राम तिलस्वा की आराजी नं0 511 में आता है यह मौका पर्चा अवैध खनन का बनाया गया है। राकेश भारद्वाज के हस्ताक्षर है मैं पहचानता हुँ।

प्रतिवादी साक्ष्य में अधिवक्ता प्रतिवादी ने किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

प्रकरण में पेरोकार सरकार एंव अधिवक्ता प्रतिवादी की बहस सूनी गई।

बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने बताया कि खनन विभाग एंव पटवारी तिलस्वा के मौके पर्चे से खातेदारान द्वारा स्वयं की खातेदारी भूमि में अवैध खनन करर स्टोन निकाला गया है। प्रकरण खनि अभियंता के आधार पर व भू0अ0नि0 के पर्चा मौका दिनांक 09.02.2012 जिसमें वर्तमान में अवैध खनन का कार्य चालू नही होकर आशिंक तौर पर अवैध खनन करना अंकित किया है। अतः खातेदारान द्वारा वादग्रस्त भूमि को कृषि से अकृषि करने पर भूमि का स्वरुप बदलने से उक्त भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

हमारे द्वारा पत्रावली का राजस्व लोक अदालत शिविर के दौरान ही अवलोकन किया गया।

ग्राम तिलस्वां के आराजी नं0 511 रकबा 4–00 बीघा भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त भूमि में अवैध खनन कार्य होने से बिलानाम सरकार दर्ज कराने की मांग की है। मौका पर्चा अनुसार मौके पर 20 फिट लम्बाई 15 फिट चौडाई एंव 1 फिट गहराई (अवैध खनन का 1 बीस्वा) भूमि पर अवैध खनन होना दर्शाया गया है।प्रतिवादीगण ने अपने जवाब के दौरान सभी तथ्यों को अस्वीकार किया है किन्तु पटवारी हल्का तिलस्वा द्वारा दिनांक 09.02.2018 को नही मानने का कोई आधार नही है। मौका स्थिति से 1 बीस्वा भूमि में खनन कार्य होने से बिलानाम सरकार दर्ज किया जाना उचित है।

अतः वाद पत्र वादी अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रतिवादीगण के विरुद्व स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। ग्राम तिलस्वा की आराजी नं0 511 रकबा 4–00 बीघा में से 1 बिस्वा (20 गुणा 15 गुणा 1) किस्म भूमि बारानी तृतीय प्रतिवादी भूमि को बिलानाम सरकार अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बिजौलियां को पालनार्थ लिखा जावे डिक्री मूर्तिब हो।

आदेश आज दिनांक 04.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट तिलस्वां में लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

04/05/18

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
(केम्प बिजौलियां खुर्द)